न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 84 / 13 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. रामावतार पुत्र श्योराम जाति चमार निवासी शेरपुर तहसील बहरोड जिला अलवर ।

:––– अपीलांट / वादी

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये जिला कलेक्टर, अलवर

2. तहसीलदार, बहरोड

:–––– रेस्पो0 / प्रतिवादीगण

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, बहरोड

दिनांक 13.8.2013

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री रामेश्वर दयाल

2. राजकीय अभिभाषक

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

निर्णय   दिनांक 16.2.2017

1.   प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, बहरोड द्वारा राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 176/2013 अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट में पारित आदेश दिनांक 13.8.2013 के खिलाफ है, जिस के द्वारा उक्त प्रा0 पत्र खारिज किया गया है ।

2.   प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी अपीलांट ने तहत न्यायालय में प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 669 रकबा 51 एयर वाके ग्राम शेरपुर तहसील बहरोड प्रार्थी ने मिश्रो वगैरा से खरीद की थी । वक्त खरीद से प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है । इस आराजी से लगता हुआ तरफ उत्तर में पूर्व से पश्चिम आम रास्ता जिाता है । रास्ता के तरफ दक्षिण में आराजी मुतनाजा स्थित है । प्रार्थी ने इस आम रास्ता पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है । [redacted] की पार्टीबाजी एवं रंजिशवश कुछ लोगों ने गलत शिकायत की है । कुछ प्रभावशाली लोग पटवारी हल्का एवं तहसीलदार से मिलकर प्रार्थी के खेतों में बनी खेली व कोटडी को तोडने पर आमदा है । यह खेल एवं कोटडी पूर्व से ही बनी हुई है । अतिक्रमण में नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे । विद्वान तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र ,खारिज किया है, जिसकी यह अपील है ।

3.   विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि विवादित भूमि का निस्फ भाग दिनांक 22.12.97 को एवं शेष निस्फ भाग दिनांक 21.7.2000 को दो रजिस्टर्ड बयनामों के द्वारा खरीद किया है । वक्त बयनामों के बिजली की कोठडी व पानी के खेल पूर्ववत बने हुये हैं, जिसकी बावत पूव्र में ग्राम पंचायत ने भी निर्णय किया हुआ है । मौके पर आम रास्ता पर अपीलांट ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है । अपीलांट के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 669 रकबा 51 एयर वाके ग्राम शेरपुर तहसील बहरोड की विधिवत पैमायश नहीं कराई गई व ना ही अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया । अपीलांट को बिना कारण अतिक्रमी माना गया है । बिजली की कोठडी, पानी के खेल एवं बोरिंग अपीलांट की भूमि में ही बनी हुई है, आम रास्ता की भूमि में नहीं है । तहत न्यायालय ने गौर नहीं किया । अतः [redacted]पील स्वीकार की जावे ।

4.   राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुये विद्वान राजकीय अभिभाषक का कहना है कि दिनांक 2.8.13 को पैमायश रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसमें आम रास्ता की भूमि खसरा नम्बर 671 के रकबा 2 एयर तथा गैर मुमकिन आबादी की भूमि खसरा नम्बर 668 के रकबा 11 एयर पर अपीलांट का अतिक्रमण पाया गया है । अपीलांट अतिक्रमी है । अगर उसे

Scanned by CamScanner

किसी प्रकार की रिलीफ प्रदान की गई तो इससे अतिक्रमण की प्रवृत्ति को बढावा मिलेगा । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । एक तरफ राजकीय अभिभाषक ने गैर मुमकिन रास्ता की भूमि खसरा नम्बर 668 एवं गैर मुमकिन आबादी की भूमि खसरा नम्बर 671 पर अपीलांट का अतिक्रमण होने का अभिकथन किया है तो दूसरी तरफ अपीलांट का कथन है कि पानी की खेल, बिजली कनेक्शन की कोठडी एव बोरिंग उसकी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 669 रकबा 51 एयर वाके ग्राम शेरपुर तहसील बहरोड में बनी हुई है । चूंकि विवादित भूमि खसरा नम्बर 669 रकबा 51 एयर अपीलाट की खरीदशुदा भूमि है और वह इसका रिकार्डेड खातेदार है । ऐसी स्थिति में हम उसके हिस्से तक की भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित समझते हैं । लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है ।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा प्रतिवादीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार पाबन्द किया जाता है कि वो अपीलांट के खसरा नम्बर 669 रकबा 51 एयर वाके ग्राम शेरपुर तहसील बहरोड में किसी प्रकार की मजाहमत, मदाखल नहीं करें । परन्तु यह रिलीफ गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार के अतिक्रमण यथा कोठरी/बोरिंग/चरी आदि के सम्बन्ध में देय नहीं है ।

7. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । तहत पत्रावली लौटाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(संजू शर्मा)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner